(1)

श्रीमान् सम्मानित सदस्य, राजस्व मंण्डल ग्वालियर म0 प्र0

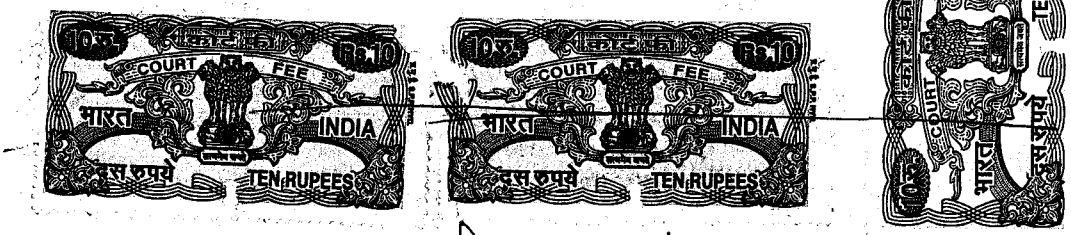

निग/3189/II/15

दिनांक 28.9.15 को श्री जय कुमार त्रिवेदी अभि० द्वारा प्रस्तुत। 28.9.15 SO

1–श्री प्रदीप कुमार सोहगौरा तनय स्व0 गंगा प्रसाद सोहगौरा निवासी ग्राम कपसा हाल निवासी ढेकहा तहसील हुजूर जिला रीवा म0 प्र0

2–श्री अशोक कुमार मिश्र तनय श्री रामायण प्रसाद मिश्र निवासी ग्राम बसरेही तहसील त्योंथर हाल मुकाम रीवा शहर जिला रीवा म0 प्र0

निगराकार

बनाम

1–प्रवीण चंद्र ब्यास तनय स्व0 नरेश चंद्र ब्यास उम्र 30 साल निवासी बैद्यान टोला उपरहटीं जिला रीवा म0 प्र0

2–नवीनचंद्र ब्यास तनय स्व0 नरेशचंद्र ब्यास उम्र 33 साल निवासी बैद्यान टोला उपरहटी जिला रीवा म0 प्र0

3– श्रीमती बृजवाला रानी पत्नी स्व0 नरेशचंद्र ब्यास निवासी बैद्यान टोला उपरहटी जिला रीवा म0 प्र0

4– रेवामल तनय माधव दास निवासी फोर्ट रोड रीवा जिला रीवा म0 प्र0

गैर निगरानी कर्ता गण

निगरानी बिरूद्व आदेश न्यायलय श्रीमान आयुक्त महोदय संभाग रीवा जरिये प्रकरण क0 27अपील/.11–12आदेश दिनांक 22.9.2015

अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न लिखित है–

(113)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी .–3189–दो/15 **जिला** –रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा आदि के हस्ताक्षर
28.9.15	प्रकरण प्रस्तुत । ग्राह्यता पर आवेदक के विद्वान अभिभाषक के तर्क सुने गये एवं उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया। उपंलब्ध अभिलेख के अनुसार आवेदकगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त के समक्ष पक्षकार बनाये जाने हेतु आवेदन किया था । अपर आयुक्त द्वारा उनके आवेदन यह कहते हुये निरस्त किये गये है कि उनके न्यायालय के प्रकरण में केवल इस बिन्दु पर निर्णय लिया जाना है कि बृजवाला रानी द्वारा रेवा मल को किया गया अंतरण सीलिंग अधिनियम के उद्धेश्य को विफल करने के लिये था या नहीं । प्रदीप सोहगौरा अथवा अशोक कुमार द्वारा रेवामल से किये गये अनुबंध या शासन के पक्ष के विरूद्ध धारा–57 (2) के अंतर्गत प्रस्तुत वाद का उनके न्यायालय में प्रचलन प्रकरण से कोई संबंध न होने का उल्लेख करते हुये अपर आयुक्त द्वारा प्रदीप सोहगौरा एवं अशोक कुमार के आवेदन निरस्त किये गये । विचार उपरांत में यह पाता हूँ कि अपर आयुक्त के समक्ष लंबित प्रकरण में उनको यह देखना होगा कि विषयांकित भूमि जो कि सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत अतिशेष घोषित हो चुकी थी या होनी सम्भावित थी, या उसको अतिशेष घोषित करने की प्रकिया प्रारंभ हो चुकी थी या ऐसी प्रकिया प्रारम्भ होनी सम्भावित थी, के किसी भी धारक, चाहे वह बृजवाला रानी हो या कोई अन्य, द्वारा ऐसी भूमि का कोई भी अन्तरण क्या सीलिंग अधिनियम के उददेश्यों को विफल करने के प्रयोजन अथवा नीयत से किया गया था या नहीं । अपर	

आयुक्त के आदेश दिनांक 22.9.15 निगरानी मेमों, एवं उपलब्ध अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि निगराकारों अशोक कुमार एवं प्रदीप सोहगौरा ने भूमियां का तथाकथित क्रय रेवामल से किया था, ना कि बृजवाला रानी से। चूंकि अपर आयुक्त के समक्ष का प्रकरण बृजवाला रानी की धारिता वाली भूमि में से अतिशेष भूमि घोषित किये जाने के संबंध में था कि ना रेवामल की किसी भूमि से, एवं चूंकि अभिलेखों के अनुसार अशोक कुमार एवं प्रदीप सौहगौरा का बृजबाला रानी से सीधे कोई संव्यवहार नहीं हुआ था, अतः मेरे मत में अशोक कुमार एवं प्रदीप सौहगौरा के पक्षकार बनाये जाने हेतु आवेदन निरस्त करने में कोई भूल नहीं की गई है । अतः अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 22.9.15 यथावत रखा जाता है ।

निगराकार प्रदीप सौहगौरा एवं अशोक कुमार द्वारा राजस्व मण्डल में प्रस्तुत आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाता है तथा यह निगरानी इसी स्टेज पर खारिज की जाती है ।

सदस्य